देवी सरन तिवारी
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 18
कचेहरी अम्बेडकर नगर

निरस्त

3/RS

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तिथि Date on which Application is made for copy accompained by the requieite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तिथि Date of delivery + of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
73 18-2-2013 अट्ठारह फरवरी सन दो हजार तेरह	18-2-2013 अट्ठारह फरवरी सन दो हजार तेरह	18-2-2013 अट्ठारह फरवरी सन दो हजार तेरह	[signature]

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 8-2-2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर अम्बेडकर नगर अन्तर्गत धारा-33 स्टाम्प अधिनियम-
मौजा- मुण्डेहरा परगना- सुरहुरपुर तहसील- जलालपुर जिला- अम्बेडकर नगर तारीख फैसला- 8-2-2013 वाद सं० 6/2008 (निर्णीत पत्रावली)
सरकार —— बनाम —— जयशंकर कृपा महाविद्यालय

नोट- वांछित प्रतिलिपि के रूप में आदेश दिनांक 8-2-2013 की छाया प्रति संलग्न है।

न्यायालय कलेक्टर, अम्बेडकरनगर ।

वाद सं0–6 / 2008

अन्तर्गत धारा–33 स्टाम्प अधिनियम
कम्प्यूटर कोड कमांक 904
मौजा मुण्डेहरा, परगना सुरहुरपुर
तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर ।

सरकार बनाम जयशंकर कृपा महाविद्यालय

आदेश

प्रस्तुत स्टाम्प वाद उपनिबन्धक जलालपुर की आख्या दिनांक 21.6.2007 के आधार पर कायम किया गया एवं सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी करके पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए ततकालीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2008 द्वारा विपक्षी पर स्टाम्प शुल्क181180.00 व निबन्धन शुल्क मु0 4900.00 है तथा 19000–00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया । उक्त पारित आदेश के बिरूद्ध विपक्षी द्वारा आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त(प्रशासन) महोदय द्वारा प्रश्नगत अपील में आदेश दिनांक 14.11.2011 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2008 को निरस्त करते हुए पुनः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि पक्ष को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर वाद का निस्तारण की अपेक्षा की जाती है।

न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन) महोदय से वाद पत्रावली प्राप्त होकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अपर आयुक्त(प्रशासन)फैजाबाद ने अपने पारित आदेश दिनांक 14.11.2011 के पैरा–4 में इस बात का उल्लेख किया है कि "उपनिबन्धक ने द्वितीय पक्ष को अन्य पक्ष मानकर तितिम्मा को अलग बैनामा माना है। परन्तु तुलनात्मक अध्ययन से पूर्व में लिखे गये बैनामा दिनांक 25.2.2006, 2.3.2006 व 7.3.2006 में जयशंकर कृपा शिक्षण संस्थान मुण्डेहरा के स्थान पर जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा प्रतापपुर अम्बेडकरनगर का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है और तदनुसार ही खतौनी में संशोधन की कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत किये गये तितिम्मा को तितिम्मा न मानकर अलग बैनामा मानना त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। वस्तुतः बैनामा लिखते समय केवल यह उल्लेख किया जाता है कि शिक्षण संस्थान के स्थान पर महाविद्यालय लिखा जाता तो उसे तितिम्मा मानने के लिए उपनिबन्धक एवं कलेक्टर दोनों बाध्य होते, परन्तु पूरा विवरण देने के कारण उसे तिमिम्मा की परिभाषा से अलग निरूपित करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कृपा महाविद्यालय लिखे जाने सम्बन्धी जो तथ्य बताया जा रहा है उस तथ्य की भलीभांति विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जयशंकर कृपा शिक्षण संस्थान मुण्डेहरा और जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा प्रतापपुर अम्बेडकरनगर एक संस्था है, न कि अलग–अलग संस्थाए हैं"। मा0 अपर आयुक्त (प्रशासन) महोदय ने अपने उक्त प्रश्नगत आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि " उपरोक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तितिम्मा मानते हुए जो स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है वह नियमानुसार सही दृष्टिकोण है क्योंकि जब तक तथ्यों की सही छानबीन कराकर यह स्थापित न हो जाय कि केता–" बिकेता दो अलग–अलग संस्थाए है तब तक उनका तितिम्मा न मानकर अलग बैनामा मानना सही दृष्टिकोण नहीं है"। मा0 अपर आयुक्त(प्रशासन) महोदय के प्रश्नगत आदेश दिनाक 14.11.2011 के आलोक्य में वाद की कार्यवाही के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा ग्राम मुण्डेहरा का नकल खसरा सन 1419 गाटा संख्या–2125ख, 2135ख, 2140, 2158, 2093 व ग्राम प्रतापपुरकलां के गाटा संख्या–985क, 1132,1473ख, 15723क, 1536क तथा ग्राम मुण्डेहरा व ग्राम प्रतापपुरकलॉ की नकल खतौनी जयशंकर कृपा महाविद्यालय के नाम अंकित होने का प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम पंचायत मुण्डेहरा के ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मुण्डेहरा में(प्रतापपुरकलां) में जय शंकर कृपा शिक्षण संस्थान के नाम से कोई संस्था नहीं है बल्कि ग्राम मुण्डेहरा में जय शंकर कृपा महाविद्यालय स्थित है जो वर्तमान में संचालित है। राज्य सरकार की तरफ से तहसील जलालपुर से लेखपत्र संख्या–498 / 06, 481 / 06 एवं 413 / 06 के अनुसार स्थित ग्राम प्रतापपुरकलां के भूखण्ड संख्या–1473ख, 985क, 1132ख,1523क, 1536क व ग्राम मुण्डेहरा के भूखण्ड संख्या–2125क, 2135ख, 2140, 2158, 2093 के सम्बन्ध में स्थलीय व अभिलेखीय जॉच कर आख्या इस आशय की चाही गई कि क्या जय शंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा व जय शंकर शिक्षण संस्थान मुण्डेहरा दो संस्था है कि एक संस्था है। यदि दोनों ग्रामों के अलग–अलग शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित हो तो आख्या अबिलम्ब उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अनुपालन में तहसीलदार जलालपुर द्वारा दिनांक 4.2.2013 को इस आशय की स्थलीय व अभिलेखीय आख्या प्रेषित की गई कि भूखण्ड संख्या–2140मि0, 2125मि0, 2135ख, 2158, 2093 स्थिति ग्राम मुण्डेहरा अभिलेख में जय शंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा प्रतापपुर

नाम अंकित है जिसमें विद्यालय का भवन निर्मित है तथा चारो तरफ चहार दीवारी निर्मित है जिस पर जय शंकर कृपा महाविद्यालय चल रहा है तथा गाटा संख्या 998ख, 1132ख, 1473ख, 1523क तथा 1536क स्थिति ग्राम प्रतापपुरकलॉ अभिलेखों में जय शंकर कृपा महाविद्यालय अंकित है परन्तु उस पर कोई भवन इत्यादि नहीं बना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जयशंकर कृपा महाविद्यालय ग्राम मुण्डेहरा में स्थापित है तथा जयशंकर शिक्षण संस्थान की कोई संस्था ग्राम गुण्डेहरा या प्रतापतपुरकलां में नहीं चल रही है। जॉच के समय ग्राम प्रधान प्रतापपुरकलॉ का प्रमाण–पत्र भी संलग्न है।

राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) अम्बेडकरनगर व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त बिकीत भूमि का बैनामा विपक्षी द्वारा दिनांक 25.2.2006, 02.03.2006 व 07.03.2006 में जयशंकर कृपा शिक्षण संस्थान मुण्डेहरा के नाम से कय किया गया था । विपक्षीगण द्वारा दिनांक 21.6.2007 को एक तितिम्मा बिलेख इस आशय का उपनिबन्धक जलालपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि पंजीकृत दस्तावेज बैनामा संख्या–581/06, 413/06 व 498/06 को सम्पादित कराते समय उतावलेपन व अविवेकपूर्ण सलाह से भ्रमित होकर मानवीय भूलबश केता के नाम सहवन लेखन सम्बन्धी त्रुटि हो गई जिसका हम संशोधन करना चाहते हैं। केता के उक्त अशुद्ध नाम को पूर्ण रूप से हटा कर केता का शुद्ध व सही नाम मूल दस्तावेज उपरोक्त तीनों बैनामो में जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा अंकित मानकर पढ़ा व समझा जाय। उपनिबन्धक जलालपुर द्वारा दिनांक 21.6.2007 को प्रस्तुत बिलेख को तितिम्मा बिलेख न मानते हुए विशुद्ध हस्तांतरण बिलेख मानते हुए आख्या प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत ग्राम मुण्डेहरा व प्रतापपुरकलां की नकल खतौनी, नकल खसरा व ग्राम प्रधान मुण्डेहरा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा राज्य सरकार की तरफ से उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार जलालपुर से मा0 अपर आयुक्त(प्रशासन) फैजाबाद के प्रश्नगत आदेश के अनुपालन में स्थलीय व अभिलेखीय आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार जलालपुर की आख्या व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि भूखण्ड संख्या–2140मि0 रकबा 0.804हे0, 2125क रकबा 0.179हे0, 2135ख/0.028हे0, 2158/0.166हे0, 2093/0.847हे0 स्थित ग्राम मुण्डेहरा अभिलेखों में जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा प्रतापपुर के नाम अंकित है जिसमें विद्यालय भवन निर्मित है तथा चारो तरफ से चहार दीवारी निर्मित है। उक्त भूमि पर जयशंकर कृपा महाविद्यालय चल रहा है तथा गाटा संख्या–985ख/0.470हे0, 1132ख/0.630हे0, 1473ख/0.107हे0, 1523क/0.510हे0 तथा 1536क/0.126हे0 स्थित ग्राम प्रतापुरकलां अभिलेखों में जयशंकर कृपा महाविद्यालय के नाम अंकित होना बताया गया है। ग्राम मुण्डेहरा व प्रतापपुर में जयशंकर शिक्षण संस्थान नाम की कोई संस्था नहीं चल रही है। मौके पर जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा स्थापित होना पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम मुण्डेहरा व प्रतापपुर में जयशंकर कृपा शिक्षण संस्थान मुण्डेरा नाम की कोई सस्था नहीं है, जबकि जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा प्रतापपुर के नाम से संस्था संचालित है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विपक्षी बीरेन्द्र बहादुर सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत तितिम्मा बिलेख दिनांक 21.6.2007 सही मानते हुए उपनिबन्धक की आख्या दिनांक 21.6.2007 के आधार पर जारी नोटिस दिनांक 2.7.2007 पर पारित आदेश दिनांक 28.11.2008 को निरस्त करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 भगौती प्रसाद सिंह आदि निवासीगण ग्राम प्रतापपुरकलां परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर के बिरूद्ध जारी स्टाम्प अधिनियम की धारा–33 स्टा0अधि0 के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 2.7.2007 तथा पारित आदेश दिनांक 28.11.2008 को निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक जलालपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाय कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत तितिम्मानामा बिलेख दिनांक 21.6.2007 सही मानते हुए जो पंजीकृत दस्तावेज बैनामा संख्या–481/06, 413/06 व 498/06 बहक जयशंकर कृपा शिक्षण संस्थान मुण्डेहरा के स्थान पर तीनो बैनामा में जयशंकर कृपा महाविद्यालय मुण्डेहरा का नाम अंकित करने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(हस्ताक्षर)

(निधि केसरवानी)
कलेक्टर,
अम्बेडकरनगर ।

दिनांकः 8.2.2013

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

(हस्ताक्षर)
कलेक्टर,
अम्बेडकरनगर।

दिनांकः 8.2.2013

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर 18-2-2013
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
अम्बेडकर नगर

तुलना किया 18/2/2013
शब्द संख्या- 925
प्रपत्र क्रमांक - 73

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर